कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग

पत्रांक : 1428 /14–1 दिनांक (कैम्प चन्दौसी) दिनांक – 7/4/17

सेवा में,

मण्डलीय प्रबन्धक
एस्सार आयल लि0
ए–5 सेक्टर–3 नोएडा।

विषय – सम्भल में मेरठ–सहसवान–बदायूं मार्ग (एस0एच0–18) कि0मी0 150 की वायी पटरी पर ग्राम सराय ब्राहमन के खसरा संख्या 29 में एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 है0 संरक्षित वन भूमि के विना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ – भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन पंचम तक सेक्टर एच–अलीगंज लखनऊ का पत्रांक संख्या 8बी/यू0पी0/06/41/2016/एफ0सी0/558 दिनांक 21.03.2017 ।

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ द्वारा सम्भल में मेरठ–सहसवान–बदायूं मार्ग (एन0एच0–18) कि0मी0 150 की वायी पटरी पर ग्राम सराय ब्राहमन के खसरा संख्या 29 में एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 है0 संरक्षित वन भूमि के विना वृक्ष पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न लिखित शर्तो पर प्रदान करती है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 बर्षो तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) रू0 109680 की धनराशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जानी है।

2क. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन/सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 6.26 लाख प्रति हैक्टेअर की दर से रू0 0.47 लाख की धनराशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जानी है। आनलाइन पोर्टल के माध्यम से

ख. इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आनलाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वातिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षरोपण एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो प्रेषित की जाय तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

ग. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्वता प्रमाण पत्र (सक्षम ~~संस्थान~~) प्रस्तुत करेगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में वढोत्तरी होती है तो वढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता

..........................2 पर

अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एव पैलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के ओ (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रेश एवं निकास के बीच की (232.44 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एव से संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवाल बनाकर किया जायेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र की Original Hard Copy प्रस्तुत करेगी।

6. राज्य सरकार कॉलम 14 भाग –II आनलाईन में District Profile से संबंधित सही Data आनलाइन अपलोड करेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक सा0वा0 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी गुन्नौर।

प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल